

प्रेषक,

डॉ० (प्रो०) खालिद मिर्जा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 26/02/2016


विषय:- शिक्षण संरथान, जिसमें स्वीकृत पद पर 60% से कम शिक्षक कार्यरत हैं, की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना द्वारा BHRC/COMP-5392/2014 मामले में दिनांक 17.02.2016 को पारित आदेश के अनुक्रम में आपके विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षण संरथान, जिसमें स्वीकृत पद पर 60% से कम शिक्षक कार्यरत हैं, की सूची उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अनुरोध है कि, ऐसे शिक्षण संरथान, जिसमें 60% से कम शिक्षक कार्यरत हैं, की सूची 24 घंटे के अन्दर फैक्ट्स/विशेष दूत के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाय। ज्ञातव्य हो कि बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में इस मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 04.04.2016 को निर्धारित है।

विश्वासभाजन



26.2.16

(खालिद मिर्जा)

निदेशक, उच्च शिक्षा